



Real Estate Regulatory Authority | भू-संपदा
Madhya Pradesh | विनियामक प्राधिकरण
मध्य प्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556760
Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2022/II-P/F-05/F-595/ 5562

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर, 2022

प्रति,

मेसर्स कटियार एसोसिएट्स,
सम्प्रवर्तक,
5, एचआईजी, लक्ष्मी नगर कॉलोनी,
उज्जैन (मध्य प्रदेश)

विषय: परियोजना- **लोटस गोल्ड, उज्जैन (P-UJN-21-2841)** के संबंध में।
संदर्भ: आपका पत्र दिनांक 09-12-2022

- 0 -

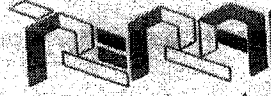
कृपया संदर्भित आपके आवेदन का स्मरण करें। पूर्व में जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए परियोजना- **लोटस गोल्ड, उज्जैन (P-UJN-21-2841)** हेतु संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, जो संलग्न है। निरस्त किए गए प्रमाण पत्र के साथ भेजे गए प्राधिकरण आदेश में उल्लेखित शर्तें यथावत रहेगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(नीरज दुबे)
सचिव

म०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण



Real Estate
Regulatory Authority
Madhya Pradesh

भू-संपदा
विनियामक प्राधिकरण
मध्यप्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556340, 2556760
Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक - 2021/II-R/A-05/F-595/1314,

भोपाल, दिनांक 24-12-2021

प्रति,

मेसर्स कटियार एसोसिएट्स,
सम्प्रवर्तक,
5, एचआईजी, लक्ष्मी नगर कॉलोनी,
उज्जैन(म०प्र०)

विषय- परियोजना- Lotus Gold, उज्जैन (प्रोजेक्ट क्र.- 312020563909) के संबंध में।
संदर्भ- परियोजना में सुनवाई दिनांक 31-08-2021

-O-

कृपया उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 31-08-2021 प्राधिकरण द्वारा की गई सुनवाई का स्मरण करे, जिसमें कि परियोजना Lotus Gold, उज्जैन का पंजीयन सशर्त मान्य किया गया है। परियोजना को पंजीयन क्र.- P-UJN-21-2841 आवंटित किया गया है।
परियोजना प्रमाण पत्र संलग्न है।

प्राधिकरण के आदेशानुसार मुझे यह सूचित करने के निर्देश है कि उक्त पंजीयन भू-सम्पदा(विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11 एवं भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियम 2017 के नियम 9, 14, 15 एवं 16 उल्लेखित प्रावधानों के अतिरिक्त निम्न शर्त के अधधीन मान्य किया गया है :-

" परियोजना पंजीयन हेतु आवश्यक शुल्क राशि रूपए 636/-, 15 दिवस के अंदर प्राधिकरण में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें"

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(नीरज दुबे)
सचिव

म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण



रेरा भवन, अरेरा हिल, भोपाल, दूरभाष : 0755-2556340, 2556760

Website : www.rera.mp.gov.in, Email id : secretaryrera@mp.gov.in

प्ररूप - ग, नियम 6-(1)

परियोजना का पंजीयन प्रमाण पत्र

संशोधित

यह पंजीयन अधिनियम की धारा -5 के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजना के लिये दिया जा रहा है

पंजीयन क्रमांक : **P-UJN-21-2841**

परियोजना का नाम : **लोटस गोल्ड, उज्जैन**

परियोजना का विवरण पता सहित :

1. व्यक्ति के मामले में : श्री/श्रीमती पुत्र श्री/श्रीमती
..... तहसील जिला राज्य

अथवा

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी के मामले में : **मेसर्स - कटियार एसोसियेट्स, उज्जैन**

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी, इसका पंजीकृत कार्यालय/व्यापार का मुख्य स्थान **5, एचआई.जी, लक्ष्मीनगर**

कॉलोनी, उज्जैन-म.प्र.

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है :

- संप्रवर्तक आवंटितियों के साथ विक्रय अनुबंध करेगा, जैसा कि मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के अनुल्लेख-A में प्रविहित किया गया है।
 - संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-17 के अनुसार आवंटितगण या उनके संगम के पक्ष में, जैसा भी मामला हो, प्रकोष्ठ या परियोजना के सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित अनुपातिक हक सहित हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा और इसका पंजीकरण करायेगा।
 - संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-4 उपधारा-(2) खण्ड (I) उपखण्ड (D) के प्रावधान अनुसार आवंटितगण से वसूली गई रकमों का 70 प्रतिशत, केवल निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये, एक अनुसूचित बैंक में बनाये रखे जाने वाले पृथक खाते में जमा करेगा।
 - पंजीयन दिनांक **31-08-2021** से प्रारंभ होकर दिनांक **15-10-2023** तक की अवधि के लिये विधिमान्य रहेगा, जब तक कि इसे भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-7 और मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम-7 के अनुसार नवीकृत न कर दिया जावे।
 - संप्रवर्तक अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।
 - संप्रवर्तक, जिस क्षेत्र में परियोजना का विकास किया जा रहा है वहां की अन्य किसी विधि के तत्समय प्रभावी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।
3. यदि संप्रवर्तक ऊपर उल्लेखित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण संप्रवर्तक के विरुद्ध अधिनियम, नियमों के प्रावधानों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, जिसमें उसे प्रदान किये गये पंजीयन का प्रतिसंहरण भी सम्मिलित किया जा सकता है।
4. उक्त परियोजना प्रकरण भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा 9,11,13,14,15 एवं 16 में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन मान्य किया जाता है।

दिनांक : **20-12-2022**

स्थान : भोपाल

प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुद्रा
म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण